

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 454] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 31, 1973/पौष 10, 1895

No. 454] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 31, 1973/PAUSA 10, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December 1973

S.O. 802(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Fertiliser (Control) Order, 1957, namely:—

1. (i) This Order may be called the Fertiliser (Control) (Third Amendment) Order, 1973.

(ii) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In Schedule I to the Fertiliser (Control) Order, 1957, under the heading "A. Specifications of Fertilisers" against item (ii) of serial No. 33 for the figures and words "23.0 per cent maximum" the figures and words "23.0 per cent minimum" shall be substituted.

[No. 10-17/72-MPRSTU]

KUMARI ANNA R. GEORGE, Jt. Secy.

(2997)

कृषि मंत्रालय

कृषि विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1973

एस० ओ० 802 (अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम उर्वरक (नियंत्रण) (तृतीय संशोधन) आदेश, 1973 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 की अनुसूची 1 में, “क. उर्वरकों की विशिष्टियाँ” शीर्षक के अन्तर्गत क्रम सं० 33 की मध (ii) के सामने “23.0 प्रतिशत अधिकतम” श्रकों और श्रक्षरों, के स्थान पर “23.0 प्रतिशत न्यूनतम” श्रंक और शब्द रखे जाएंगे ।

[सं० 10-17/72-एम०पी०आर०एस० टी० यू०]

कुमारी अन्ना आर० जार्ज, संयुक्त सचिव ।